न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 39/2020

प्रार्थीगण

1. पूनाराम पुत्र चौपाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. हेमाराम पुत्र चौपाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. नेतीराम पुत्र चौपाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
4. जमना पुत्री चौपाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
5. सुगना पुत्री चौपाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
6. पंकू पुत्री चौपाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
7. फूलीबाई पत्नि चौपाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
8. गंगा पुत्री नरसाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही
2. दलाराम पुत्र भबूताजी, जाति–मीणा, निवासी– कुकडी खेडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. सोहनलाल पुत्र भबूताजी, जाति–मीणा, निवासी–कुकडी खेडा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 27 सितम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, शिवगंज द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत श्री भबूता पुत्र नेमा जी मेणा, निवासी– कुकडी खेडा को ग्राम कुकडी खेडा के पुराने खसरा संख्या 28/1 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार देने के संबंध में पारित नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये

........पेज दो पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:10 IST
Reason: SelfAttested

गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थीगण को सफल होने की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण अनपढ़ एवं देहाती व्यक्ति है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटन से पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता काबिज काश्त रहे है एवं उनके बाद लगातार रूप से आज दिन तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काबिज काश्त रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा बार बार विवादित भूमि को लेकर झगड़ा फसाद करने पर उक्त आराजी की नामान्तरकरण की कॉपी सिरोही आकर अपील प्रस्तुत करने से 20 दिन पूर्व अपने अधिवक्ता को बताई तब प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई की नामान्तरकरण फर्जी व गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किया गया है। उक्त भूमि आवंटन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है एवं कब किया गया है इसका भी आलौच्य नामान्तरकरण में कोई हवाला नहीं दिया है। नामान्तरकरण में आवंटन आदेश व दिनांक रिक्त है, इस कारण भी प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रारम्भतः ही अविधिक है और विधिक मामलों में विलम्ब नहीं देखा जाता है। यह कि प्रार्थीगण को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से 20 दिन पूर्व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर यह जानकारी हुई कि उक्त नामान्तरकरण सक्षम अधिकारी के आवंटन आदेश के बिना ही भरा गया है जो कुटरचित तरीके से दर्ज किया है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होते हुए प्रार्थीगण ने अन्दर मियाद 30 दिन में अपील पेश की है जिसमें प्रार्थीगण की कोई लापरवाही या बदनियति नहीं रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद प्रस्तुत होना माना जाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी पूनाराम व हेमाराम के बच्चे पढे लिखे है, अपीलार्थी नेतीराम भी पढा लिखा व राज्य कर्मचारी है तथा शिक्षा विभाग मे कार्यरत है। राजस्थान सरकार द्वारा विवादित आराजी खसरा सं. 28/1 की रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा राजस्व आराजी की खातेदारी हक व अधिकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा के पक्ष में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत नियमानुसार प्रदान किये गये थे, जिसके आधार पर विवादित आराजी के संबंध में नामान्तरणकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 को स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा के नाम खातेदारी का दर्ज किया गया था, जिसकी भलीभांति जानकारी अपीलार्थीगण को काफी लम्बे समय से है। अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण के विरुद्ध सहायक कलक्टर न्यायालय, शिवगंज में विवादित आराजी के खातेदारी की घोषणा का वाद संख्या 192/2013 दिनांक 21.8.2013 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भी उन्होने विवादित नामान्तरणकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 को चुनौती दी थी, जिससे यह कतई नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के 20 दिन पूर्व ही विवादित नामान्तरणकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 की जानकारी हुई थी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि खसरा नं. 28/4 की 12 बीघा की

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

राजस्व आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. भबूता वल्द नेमा मैणा व स्व. भबूता के भाई स्व. चौपा व स्व. नरसा का संयुक्त रुप से कब्जा काश्त था, जिससे उक्त कृषि भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 28 दिनांक 10.6.1965 को स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा व स्व. भबूता के भाई स्व. चोपा व स्व. नरसा के नाम संयुक्त रुप से दर्ज किया गया था, जिससे भी यह साबित होता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 28/1 की 25 बीघा 6 बिस्वा राजस्व आराजी पर अकेले अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा अकेले का ही कब्जा काश्त था। इसी कारण, राजस्थान सरकार द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 28/1 की 25 बीघा 6 बिस्वा राजस्व आराजी की खातेदारी हक व अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा के पक्ष में राजस्थान काश्तकारी अधी की धारा 15 के तहत नियमानुसार प्रदान किये गये थे, जिसके आधार पर विवादित आराजी के संबंध में नामान्तरणकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा के नाम दर्ज किया गया था तथा खसरा संख्या 28/4 की 12 बीघा की राजस्व आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा व स्व. भबूता के भाई स्व. चोपा व स्व. नरसा का संयुक्त रुप से कब्जा काश्त होने के कारण उक्त कृषि भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 28 दिनांक 10.6.1965 को स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा व स्व. भबूता के भाई, स्व. चोपा व स्व. नरसा के नाम संयुक्त रुप से दर्ज किया गया था। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को खारिज किया गया है। पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत श्री भबूता पुत्र नेमा जी मेणा, निवासी– कुकडी खेडा को ग्राम कुकडी खेडा के पुराने खसरा संख्या 28/1 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार देने के संबंध में पारित नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 के विरुद्ध प्रार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत श्री भबूता पुत्र नेमा जी मेणा, निवासी– कुकडी खेडा को ग्राम कुकडी खेडा के पुराने खसरा संख्या 28/1 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार देने के संबंध में पारित नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 से व्यथित होकर इस न्यायालय में अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध दिनांक 08.9.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण ने यह उल्लेख किया है कि "प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के 20 दिन पूर्व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुई एवं उसके अन्दर मियाद 30 दिन में अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।" जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि "विवादित आराजी खसरा संख्या 28/1 की रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा के खातेदारी हक व अधिकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा के पक्ष में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत नियमानुसार प्रदान किये गये थे, जिसके आधार पर विवादित आराजी के संबंध में नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 को स्व. भबूता वल्द नेमा मेणा के नाम खातेदारी का दर्ज किया गया था, जिसकी भलीभांति जानकारी अपीलार्थीगण को काफी लम्बे समय से है। अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण के [illegible] सहायक कलक्टर न्यायालय, शिवगंज में विवादित आराजी के खातेदारी की घोषणा बाबत वाद संख्या 192/2013

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 21.8.2013 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भी उन्होने विवादित नामान्तरणकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 को चुनौती दी थी, जिससे यह कतई नही माना जा सकता है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के 20 दिन पूर्व ही विवादित नामान्तरणकरण संख्या 11 दिनांक 10.6.1967 की जानकारी हुई थी।"

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया कि गया कि प्रार्थी संख्या 1 से 7 के पिता चौपा पुत्र स्व. श्री नेमाजी, जाति– मीणा, निवासी– कुकडी खेडा व प्रार्थी संख्या 8 (गंगा) व अन्य द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध विवादित भूमि के संबंध में सहायक कलेक्टर, शिवगंज के न्यायालय में एक राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसके राजस्व वाद संख्या 192/2013 है। सहायक कलेक्टर, शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 192/2013 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.5.2018 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अर्न्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसके निगरानी टी.ए. संख्या 4770/2018 है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 1 से 7 को उनके पिता स्वर्गीय चौपाराम जी पुत्र नेमाजी मीणा, निवासी– कुकडी खेडा के माध्यम से एवं प्रार्थी संख्या 8 (गंगा) स्वयं को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में वर्ष 2013 से ही जानकारी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थी अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.9.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थी अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कोई युक्तियुक्त कारण भी नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण को भी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:10 IST
Reason: SelfAttested